

गृहों का संचालन

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, संशोधित अधिनियम-2006

क्रमांक	संस्था का नाम	जनपद का नाम	क्षमता	संस्था का पता	आच्छादित जनपद	सक्षम प्राधिकारी जिसके माध्यम से बच्चे भेजे जाते हैं	आयु	श्रेणी
1	2	3	4	5	9	6	7	8
1	रा. सम्प्रेक्षण गृह(किशोर) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत)	1. लखनऊ	100	मोहान रोड	लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव,	अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सदस्य-2 (महिला/पुरुष) के द्वारा	07-18 वर्ष	विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की जांच के लंबित रहने तक
		2. हरदोई	50	रददेपुरवा रोड	हरदोई, खीरी, सीतापुर			
		3. ललितपुर	50	नेहरू नगर	ललितपुर			
		4. मुजफ्फरनगर	30	आर्य पूरी, नेहरू अस्पताल के सामने	मुजफ्फरनगर, सहारनपुर			
		5. मुरादाबाद	50	आदर्श कालोनी, समाज कल्याण परिसर	मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, जे.पी.नगर,			
		6. वाराणसी	75	राम नगर	वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर			
		7. इलाहाबाद	50	खुल्दाबाद	इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर			
		8. फर्रुखाबाद	50	जरवा याकूजगंज, फतेहगढ़	फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज			
		9. बरेली	50	वनखण्डीनाथ मंदिर के पास जोगी नवादा	बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर			
		10. मेरठ	100	सूरज कुण्ड, ऊपरी तल	मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर			
		11. आगरा	50	कलेक्ट्रेट के पीछे	आगरा, एटा, काशीरामनगर, मैनपुरी,			
		12. मथुरा	30	बस स्टैंड के पास (नया) बी.एस.ए.कालेज	मथुरा, अलीगढ़, महामाया नगर			
		13. मऊ	30	मुंशीपुरा	मऊ, आजमगढ़, बलिया,			
		14. बस्ती	30	कंजर टोला, गांधी नगर (शौकत गली)	बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर			
		15. कानपुर	50	128/35, वाई ब्लॉक, किदवई नगर	कानपुर नगर, रमाबाईनगर			
		16. फैजाबाद	50	अयोध्या	फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर			

		17. गोरखपुर	50	उर्दू बाजार, घंटाघर के पास	गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर			
		18. गोंडा	30	राधा कुण्ड	गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती			
		19. चित्रकूट	30	माधवगंज, कर्वी	चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा			
		योग	959					
2.	रा. सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत)	1. मुरादाबाद	30	लोकड़ी फाजलपुर	मुरादाबाद, बरेली मण्डल के समस्त जनपद	अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सदस्य-2 (महिला/पुरुष) के द्वारा	07-18 वर्ष	विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की जांच के लंबित रहने तक
		2. बाराबंकी	30	बेलहरा हाउस, देवों रोड	फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी			
		3. मिर्जापुर	30	लोहदी कला	मिर्जापुर तथा वाराणसी मंडल के समस्त जनपद			
		4. सीतापुर	30	आर्य नगर निकट हेड पोस्ट आफफिस	लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, खीरी, सीतापुर			
		5. गाजियाबाद	30	3/62, सेक्टर-3, राज नगर	मेरठ, सहारनपुर तथा अलीगढ़ मंडल के समस्त जनपद			
		योग	150					
3.	रा. विशेष गृह (किशोर) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत)	1. इटावा	50	दीप टॉकीज के पास	संचालित समस्त राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (फि	अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सदस्य-2 (महिला/पुरुष) द्वारा	07-18 वर्ष	विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के सुधार तथा उनके पुनर्वासन हेतु

4.	रा. विशेष गृह (किशोरी) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत)	1. बाराबंकी	30	बेलहरा हाऊस, देवों रोड	संचालित समस्त राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (वि	अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष,जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सदस्य-2 (महिला/पुरुष) द्वारा	07-18 वर्ष	विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के सुधार तथा उनके पुनर्वासन हेतु
5.	रा. बाल गृह (शिशु) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत)	1. लखनऊ	50	3, प्राग नारायण मार्ग	लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, कानपुर नगर, इटावा, रमाबाईनगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, खीरी, बलरामपुर,	अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष,,सदस्य-4 महिला/पुरुष) के द्वारा	0-18 वर्ष	देखरेख एवम् संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे
		2. इलाहाबाद	50	अशोक नगर	इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मऊ, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, जौनपुर गाजीपुर, संतरविदासनगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बांदा, कुशीनगर, महाराजगंज, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर,, जालौन, झांसी, ललितपुर			
		3. आगरा	50	120 विष्णुपुरी कालोनी, राजीव टॉकिज के पास, शाहगंज	आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़			
		4. मथुरा	50	ऑफिस कालोनी पी.डब्ल्यू.डी. बिल्डिंग	मथुरा			
		5. रामपुर	50	सी.आर.पी.एफ. सोसायटी कालोनी	रामपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बागपत, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर			
		योग	330					

6.	बाल गृह (बालक) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत)	1. लखनऊ	100	मोहान रोड	लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, खीरी, हरदोई, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, रायबरेली	अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष, सदस्य-4 महिला/पुरुष) के द्वारा	10-18 वर्ष	देखरेख एवम् संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे
		2. ललितपुर	50	दैलवारा	ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन			
		3. वाराणसी	100	राम नगर	वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर			
		4. कानपुर	100	उन्नयन बस्ती, कल्याणपुर	कानपुर, रमाबाई नगर, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़			
		5. शाहजहांपुर	50	निकट सिविल अस्पताल, बरेली रोड	शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत			
		6. गाजीपुर	50	गोरा बाजार	गाजीपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर			
		7. फिरोजाबाद	50	निकट सी.ओ. ऑफिस-पुलिस, एटा रोड	जाबाद, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी एवं म			
		8. आजमगढ़	50	ब्रह्म स्थान	आजमगढ़, देवरिया, बलिया, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बलिया			
		9. मेरठ	50	सूरज कुण्ड	मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर			
		10. देवरिया	50		देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज			
		योग	650					
		1. बलिया	50	निधरिया	गा, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराण			

7.	बाल गृह (बालिका) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत)	2. इलाहाबाद	50	ममफोर्डगंज	इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, झांसी, ललितपुर, जालौन, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, बस्ती, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर	अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष, सदस्य-4 महिला/पुरुष) के द्वारा	10-18 वर्ष	देखरेख एवम् संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे
		3. कानपुर	100	7/202, स्वरूप नगर	कानपुर, रमाबाईनगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर			
		4. लखनऊ	100	मोती नगर	लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बदायूँ, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, फैजाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, खीरी			
		योग	300					
8	रा. पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन (किशोरी) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-44 के अन्तर्गत)	1. रायबरेली	100	सरस्वती नगर, त्रिकुला पावर हाऊस, फिरोजगांधी इंजीनियरिंग कालेज के पास	लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, खीरी, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, कानपुर नगर, रमाबाईनगर, उन्नाव, बलरामपुर, गोंडा, कन्नौज, इटावा, चित्रकूट, बांदा, झांसी, महोबा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर	अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष, सदस्य-4 महिला/पुरुष) के द्वारा	18 से 21 वर्ष की आयु तक की बालिकायें	पुनर्वासन हेतु
		2. वाराणसी	100	जैतपुरा	वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, संतरविदासनगर, गोरखपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, मऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती			

		3. मेरठ	50	बाउण्डी रोड, लालकुर्ती	मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, आगरा, एटा,मैनपुरी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, रामपुर			
		4. सहारनपुर	100	फतेहपुर	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, बिजनौर			
		योग	350					
9	रा. पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन (किशोरी) (किशोर न्याय अधिनियम की धारा-44 के अन्तर्गत)	1. शाहजहाँपुर	50	निकट सिविल अस्पताल, बरेली रोड	प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय बाल गृह (बालक)	अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति (अध्यक्ष, सदस्य-4 महिला/पुरुष) के द्वारा	18 से 21 वर्ष की आयु तक की बालक	पुनर्वासन हेतु
			50					
अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956								
1.	राजकीय संरक्षण गृह (आई0टी0पी0एक्ट की धारा-15(5) एवं 16 के अन्तर्गत)	1. आगरा	75	कालिन्दी बिहार	आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, महामायानगर (हाथरस)	मा. न्यायालय के आदेशानुसार	18 वर्ष से अधिक आयु की महिला	पीड़ित एवं साक्ष्य हेतु महिला/अन्य संरक्षण की आवश्यकता वाली महिलायें
2.	राजकीय सुधार गृह (आई0टी0पी0एक्ट की धारा-7 एवं 8 के अन्तर्गत)	2. वाराणसी	75	शिवपुर	वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर	मा. न्यायालय के आदेशानुसार		
अन्य अधिनियम के अन्तर्गत संचालित संस्थायें								
		1. लखनऊ	75	3, प्राग नारायण मार्ग	लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुरखीरी			

1	राजकीय महिला शरणालय	2. मेरठ	75	बेगम बाग	मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, बागपत, गौतमबुद्धनगर	मा. न्यायालय के आदेशानुसार	18 वर्ष से अधिक आयु की महिला	पीड़ित एवं साक्ष्य हेतु महिला, घरेलू हिंसा अधिनियम एवं जरूरतमंद भटकी हुयी नैतिक संकट से ग्रसित महिलायें
		3. गोरखपुर	75	बेतिया हाता	गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर			
		4. इलाहाबाद	75	खुल्दाबाद	इलाहाबाद, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़			
		5. इटावा	25	चौगुरुजी नौरंगाबाद	इटावा, कानपुरनगर, रमाबाईनगर, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज			
		6. मथुरा	25	केस किला स्वामी घाट के पास	मथुरा, आगरा, अलीगढ़, महामायानगर, एटा, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद			
		7. बरेली	25	प्रेम नगर निकट सी.आई. पार्क	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी			
		8. मुरादाबाद	25	डिप्टीगंज	मुरादाबाद, ज्योतिबाफूलेनगर, रामपुर, बिजनौर,			
		9. फैजाबाद	25	नयाघाट, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या	फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी			
		10. कानपुर	100	7/202, स्वरूप नगर	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश			
			योग	525				
3.	मानसिक रूप से अविकसित महिलाओं का प्रकोष्ठ	1. बरेली	100	प्रेम नगर निकट सी.आई. पार्क	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश	किसी भी स्रोत से भेजी जा सकती है।	18 वर्ष से अधिक आयु की महिला	मानसिक रूप से अक्षम/अस्वस्थ महिला